

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 102 / 2015

संस्थित दि. : 06 / 02 / 2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. रतिराम पिता नट्टूलाल, उम्र 42 साल, जाति कुर्मी,
निवासी बिरसा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. तोपसिंह मर्सकोले पिता स्व.दशरथ, उम्र 33 साल, जाति गोंड,
निवासी बिरसा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. अरुण परते पिता काशीराम परते, उम्र 42 साल जाति परधान,
निवासी बिरसा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 06 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का आरोप है कि आरोपीगण दिनांक 01 / 02 / 2015 को समय 16:35 बजे स्थान युनियन बैंक बिरसा के पीछे खेत में महुआ के पेड़ के नीचे थाना बिरसा के अन्तर्गत सदोष लाभ लेने के आशय से ताश-पत्तों से रुपये-पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र बिरसा में पदस्थ प्रधान आरक्षक किरण कुमार बाहेश्वर दिनांक 01.02.2015 को हमराह स्टाप के साथ ग्राम भ्रमण हेतु रवाना हुआ था कि ग्राम भ्रमण के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि युनियन बैंक बिरसा के पीछे महुआ पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से रुपये पैसों का दाव लंगाकर जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह

स्टाप को एवं राहगीर गवाह नैनसिंह मर्सकोले व रजनीकांत पुसाम को मुखबिर के सूचना से अवगत कराकर एवं साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी आरोपीगण को पकड़ा तो आरोपीगण 52 ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए पाये गये। आरोपीगण से 52 ताश के पत्ते एवं नगदी 1060 /— समक्ष गवाहों के जप्त कर आरोपीगण को थाने लाकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/15 अन्तर्गत 13 जुआ एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपीगण को मेरे द्वारा सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—

- (अ) क्या आरोपीगण दिनांक 01/02/2015 को समय 16:35 बजे स्थान युनियन बैंक बिरसा के पीछे खेत में महुआ के पेड़ के नीचे थाना बिरसा के अन्तर्गत सदोष लाभ लेने के आशय से ताश—पत्तों से रूपये—पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध क मुख्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध स्वेच्छयापूर्वक करना स्वीकार किया।

(06) आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(07) आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन द्वारा पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता

है। आरोपीगण द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति करने के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(08) आरोपी रतिराम, तोपसिंह, अरूण परते को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

(09) आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में आरोपीगण से जप्त 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे एवं नगदी जप्तुशदा 1060/- रुपये राजसात किये जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)